भारत में बाल विवाह

राम प्रताप गुप्ता

भारत में लंबे समय से बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास होते रहे हैं। बाल विवाह पर रोक सम्बंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

भारत में बाल विवाहों पर रोक लगाने सम्बंधी इतने पुराने कानून होने के बावजूद इनकी व्यापकता सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 9वीं योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के अनुसार देश में बाल विवाहों की इतनी व्यापकता के पीछे प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा तो है ही, साथ ही हाल के वर्षों में अनेक नए व जटिल कारक भी इसमें जुड़ गए हैं।

तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् 2005-06) के अनुसार 20 से 24 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं से विवाह के समय की आयु की जानकारी लेने पर पाया गया कि इनमें से 44.5 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में ही हो गया था, 22.5 प्रतिशत का विवाह तो 16 वर्ष की आयु में और 2.6 प्रतिशत का तो 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। इस सर्वेक्षण में अल्पायु में विवाह का सम्बंध उच्च प्रजनन दर से भी पाया गया; जिन महिलाओं का विवाह अल्पायु में हो गया था, उनमें प्रति महिला औसतन बच्चों की संख्या भी अधिक पाई गई। अल्पायु में विवाह का प्रचलन गरीब परिवारों में ही अधिक पाया जाता है और इस प्रथा का प्रचलन गरीब राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्यप्रदेश में ही अधिक है। वहीं केरल, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, गोआ और तमिलनाडु में बाल विवाह का प्रचलन होना इस बात का प्रमाण है कि विवाह की न्यूनतम आयु सम्बंधी कानूनों का व्यवहार में पालन नहीं हो पा रहा है।

अल्पायु में विवाह लड़कियों के लिए अनेक समस्याओं का कारण होता है। तृतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में विवाह वाली लड़कियां 18 वर्ष की आयु में मां बन जाती हैं; ऐसी लड़कियों का प्रतिशत 32 प्रतिशत के करीब होता है। खेलने कूदने, पढ़ाई करने की उम्र वाली इन बालिका वधुओं पर पत्नी, मां और बहू की तिहरी भूमिकाएं अदा करने का दायित्व आ पड़ता है। कम उम्र में गर्भवती हो जाने पर गर्भपात की संभावना भी अधिक होती है। चूंकि बाल विवाह की स्थिति में पति और पत्नी, दोनों की आयु और समझ कम ही होती है, ऐसे में उनको गर्भ निरोध के साधनों की जानकारी कम ही हो पाती है। अतः उनके उपयोग की संभावना भी कम ही रहती है, इन बालिका वधुओं पर प्रथम प्रसव के 2 वर्ष की अवधि के पूर्व ही दूसरी बार गर्भाधान और प्रसव का भार आ पड़ने की संभावना भी अन्य से अधिक होती है।

ये बालिकाएं गरीब और सामाजिक रूप से निम्न परिवारों की होती है अतः इनके अल्पायु में ही पत्नी और मां बन जाने का उनके स्वास्थ्य पर स्थाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है जिसे वे जिन्दगी भर भुगतती हैं। परिवार में, विशेषकर ससुराल में इनकी स्थिति बाल श्रमिक से बेहतर नहीं होती

है। उन्हें पारिवारिक हिंसा और पति के दुर्व्यवहार का भी शिकार होना पड़ता है। किशोरावस्था में ही इतना कुछ भुगतने का इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्यंभावी होता है।

भारत में सन् 1978 में ही विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिए जाने के बावजूद सन् 2005-06 में भी 20 से 24 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में से लगभग आधी का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही हो जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार विवाह की न्यूनतम आयु का कानून तो पारित करा चुकी है परंतु व्यवहार में उसे लागू करवाने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अनेक प्रभावशाली परिवारों की कम आयु की कन्याओं के विवाह में तो अनेक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों का उपस्थित रहना सरकार की इस कानून को लागू करने के प्रति उपेक्षा का ही तो प्रतीक है।

योजना आयोग का कथन है कि इन वर्षों में अनेक जटिल कारकों के कारण बाल विवाह की प्रवृत्ति को और बल मिला है। भारत में अल्पायु में विवाह की समस्या का सम्बंध गरीब, निम्न वर्गीय परिवारों से ही होता है। इन परिवारों में कन्या को परिवार में अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा जाता है, जिसकी शिक्षा-दीक्षा पर किए गए व्यय का लाभ किसी अन्य के परिवार को मिलता है। फिर अल्पायु में विवाह कर देने पर दहेज की मात्रा भी कम ही होती है। वर्तमान में कन्याओं पर किए जाने वाले यौन आक्रमणों की संभावना भी बढ़ गई है; ऐसे में माता-पिता अल्पायु में उनका विवाह कर आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में सुरक्षित है। विवाह न होने की स्थिति में कन्याओं पर यौन आक्रमण अथवा उनके द्वारा स्वेच्छा से लड़कों के साथ यौन सम्बंध बना लेने की संभावना माता-पिता को बेचैन बनाए रखती है, अल्पायु में ही उनका विवाह कर वे निश्चिंत हो जाते हैं।

भारत में बाल विवाहों की इतनी बड़ी संख्या और अनुपात के प्रति भारत में ही चिंता प्रकट नहीं की जा रही है। हाल ही में अमेरिका के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव और सीनेट में एक साथ प्रस्तुत एक विधेयक में कहा गया है कि अल्पायु में विवाह की स्थिति में मातृत्व मृत्यु और शिशु मृत्यु की संभावना काफी अधिक होती है, साथ ही बालिकाओं का विवाह प्रौढ़ों के साथ होने की स्थिति में उनके एड्स से ग्रसित होने की संभावनाए भी बढ़ जाती है। अमेरिका का यह भी मत है कि बाल विवाह की प्रथा के कारण उसके द्वारा अल्प-विकसित राष्ट्रों को प्रदत्त अरबों डॉलर की सहायता व्यर्थ हुई जा रही है। अतः इस विधेयक के माध्यम से भारत सहित सभी विकासशील राष्ट्रों को बाल विवाह को रोकने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न यह है कि भारत में बाल विवाहों को रोकने के लिए अब क्या किया जाए कि देश इनसे मुक्त हो सके? बाल-विवाह निषेध कानून सन् 2006 में बालिका वधू और बाल दुल्हे को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी शादी को अमान्य और अवैध घोषित करवा सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत कन्या को उसके अगले विवाह तक आजीविका भत्ता प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही बाल विवाह में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सज़ा के आकार में भी वृद्धि की गई है। परन्तु इस कानून का लाभ लेने वालों की संख्या भी उंगलियों पर गिनने लायक ही रहने के कारण लगता है कि बाल विवाह को रोकने में यह कानून भी विशेष मददगार सिद्ध नहीं होने वाला है।

1 दिसंबर 2006 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि 16 वर्ष से पूर्व की आयु में हुए विवाहों को अवैध माना जाए और अगर कोई संतान हो गई हो तो उसे उनकी वैध संतान माना जाए। साथ ही यौन संपर्क हेतु लड़की द्वारा स्वीकृति के लिए भी उसकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष रखी जाए तथा सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य बना दिया जाए। परन्तु इस समय सर्वाधिक आवश्यकता पूर्व निर्मित कानूनों को लागू करने के लिए राजनैतिक इच्छा जागृत करने तथा उन्हें लागू करने के लिए प्रभावशाली मशीनरी के निर्माण की है। कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त सामाजिक संगठनों को इस दिशा में आगे लाने की आवश्यकता है।

सामाजिक संगठनों द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले

प्रयास कानूनों से भी अधिक प्रभावी सिद्ध होंगे। सामाजिक संगठनों के इस दिशा में प्रयास के समाचार आने भी लगे हैं। मध्यप्रदेश के श्योपुर ज़िले के सहारिया आदिवासी समुदाय के बारे में अब तक तो भुखमरी और भूख से मौतों के समाचार ही आते रहे हैं। हाल ही में 28 ग्रामों की सहारिया आदिवासी पंचायत ने निर्णय लिया कि आगे से सहारिया समाज में बाल विवाह नहीं होंगे और इसे लागू करने के लिए पंच, मुखिया, पटेल और प्रधान ज़िम्मेदार होंगे। इस समाज में अब तक हर तीन में से 2 बालिकाओं का विवाह 10-12 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता है और वे 15 वर्ष की उम्र आते-आते माता भी बन जाती हैं। अब इस सबसे पिछड़े और गरीब समाज ने निर्णय लिया है कि आगे से उनमें लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व तथा लड़कों का विवाह 21 वर्ष से पूर्व नहीं किया जाएगा तथा पंच, मुखिया, पटेल आदि कठोरता से इसका पालन करवाएंगे। जब देश के सबसे गरीब, अनपढ़ और पिछड़े समाज के लोग अपने यहां बाल विवाह पर कठोरता से प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो निश्चित ही अन्य समाजों को भी इस दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसा निर्णय लेने वाले समाजों को अनुदान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें। सरकार को देर-सबेर इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि केवल कानून बनाकर बाल विवाहों को नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास अधिक प्रभावी होंगे। अतः अब सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में सामाजिक संगठनों को आगे लाने के पूरे प्रयास करे। कानून तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन्हें लागू करवाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। ***(स्रोत फीचर्स)***